न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – सौरभ स्वामी, I.A.S.

वादपत्र संख्या 104/2015
अन्तर्गत धारा 88, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

मुन्शीराम आत्मज श्रीमती तीजा धर्मपत्नी श्री बलदेवाराम, नायक, गांव कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

...वादी

बनाम

1. सोहनलाल आत्मज श्री गोपाल, जाति नायक, कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.

..प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री जगदीश गोदारा (वादी)
श्री प्रेमप्रकाश मक्कड़ (प्रतिवादी–1)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–2)

दिनांक 30 अगस्त, 2018

– निर्णय –

वादपत्र के तथ्यों के अनुसार चक 3 ए बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 31 की 25.00 बीघा कृषि भूमि(जिसे निर्णय के शेष भाग में प्रश्नगत कृषि भूमि से सम्बोधित किया जा रहा है) वादी के नाना श्री अन्नाराम आत्मज श्री दुल्लाराम को आवंटित की गयी. श्री अन्नाराम के एक पुत्र श्री गोपाल एवं दो पुत्रियां क्रमशः श्रीमती तीजा एवं सुश्री सुगना थी. सुश्री सुगना के बचपन में ही मृत्यु हो गयी. श्री अन्नाराम की मृत्योपरान्त प्रश्नगत कृषि भूमि का नामान्तरकरण प्रतिवादी संख्या 1 व उसकी माता श्रीमती मूलीदेवी धर्मपत्नी श्री गोपाल एवं वादी केनाम पर दर्ज किया गया. श्रीमती मूलीदेवी की माह नवम्बर, 2000 में मृत्यु हो गयी. वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि पर कब्जा किया हुआ है. री अन्नाराम की मृत्योपरान्त प्रश्नगत कृषि भूमि के उत्तराधिकारी उसका पुत्र श्री गोपाल एवं उसकी पुत्री तीजां बराबर के हिस्सेदार थे किन्तु नामान्तरकरण में 3.6½ हिस्सा श्रीमती मूलीदेवी तथा 1.548 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर एवं 1.037 हैक्टर वादी के नाम पर दर्ज किया गया जो विधिक रूप से गलत है, श्री गोपाल की भी मृत्यु हो चुकी है. श्री अन्नाराम की मृत्योपरान्त उसकी कुल 25.00 बीघा कृषि भूमि में से ½ भाग गोपाल की धर्मपत्नी श्रीमती मूली एवं ½ भाग श्रीमती तीजा के नाम पर दर्ज किया जाना था और श्रीमती तीजा की मृत्योपरान्त उसके ½ हिस्सा वादी के नाम पर दर्ज किया जाना था किन्तु वादी के नाम पर ½ भाग दर्ज न किया जाकर केवल 1.037 हिस्सा ही दर्ज किया गया. वादी अपनी माता श्रीमती तीजादेवी के हिस्सा की भूमि प्राप्त करने का अधिकारी एवं घोषणा करवाने का

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

अधिकारी है कि श्री अन्नाराम की मृत्योपरान्त श्रीमती मूलीदेवी एवं उसके पुत्र श्री सोहनलाल के नाम जो राजस्व अभिलेखों में नामान्तरकरण दर्ज किया गया है वह विधि विरूद्व, निष्प्रभावी है और वादी अपने नाना की भूमि में से ½ हिस्सा अर्थात 12.05 बीघा प्राप्त करने का अधिकारी है. वादी उक्त घोषणा के बाद अपने हिस्सा की 12.05 बीघा भूमि का विभाजन करवाकर पृथक कब्जा प्राप्त करने का भी अधिकारी है. अभी तक श्री अन्नाराम की मृत्योपरान्त जिस प्रकार जमाबन्दी में इन्तकाल किया गया है उसमें वादी का 1.037 हिस्सा दिखाया गया है किन्तु प्रतिवादी द्वारा समस्त भूमि पर कब्जा किया हुआ है और वादी के नाम जिस भूमि को जमाबन्दी में दिखाया गया है उसकी फसल का लाभ भी स्वयं उठा रहा है. विकल्प स्वरूप यदि वादी अपने हिस्सा की 1.037 हैक्टर का विभाजन कर कब्जा देने के लिये कहा गया तो प्रतिवादी साफ इन्कार हो गया. यही वादहेतुक उपलब्ध है. प्रतिवादी संख्या 1 की माता श्रीमती मूलीदेवी की मृत्योपरान्त वादी ने कुल भूमि के विभाजन हेतु समय समय पर आग्रह किया गया किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अन्तिम रूप से दिनांक 4 अक्तूबर, 2004 को साफ इन्कार कर दिया गया. इस प्रकार वादी द्वारा अपने नाना श्री अन्नाराम की चक 3 ऐ बड़ा तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 31 की 25.00 बीघा कृषि भूमि में ½ हिस्सा की घोषणा एवं विभाजन की डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में चक 3 एफ बड़ा की जमाबन्दी सम्बत् 2059 एवं चक 3 एफ बड़ा की जमाबन्दी सम्बत् 2059 की चित्रित प्रति सलग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी संख्या 1 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित एवं प्रतिवादी संख्या 2 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज उपस्थित.

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आवेदनपत्र दिनांक 15 मार्च, 2005 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार वादी द्वारा उक्त वादपत्र धारा 88, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रश्नगत कृषि भूमि की बाबत प्रस्तुत किया गया है जिसके समर्थन में राजस्व अभिलेख जमाबन्दी प्रस्तुत की गयी है जो कि वादपत्र का मूल आधार है. प्रस्तुत जमाबन्दी में भूमि धारक भारत सरकार गैर खातेदार दर्ज है जो भारत सरकार पुर्नवास से सम्बन्धित है. डी.पी.सी. एण्ड आर एक्ट की धारा 36 व अन्य प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार की सम्पत्ति के सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभावशाली नहीं है इसलिये विचाराधीन वादपत्र विधि द्वारा वर्जित है. इस प्रकार वादपत्र सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

वादी की ओर से जवाब आवेदनपत्र दिनांक 13 जुलाई, 2005 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार वादी द्वारा विचाराधीन वादपत्र घोषणा एवं विभाजन हेतु प्रस्तुत किया गया है. वादी के पिता श्री अन्नाराम आत्मज श्री दुल्लाराम के नाम चक 3 ए बड़ा के मुरब्बा नम्बर 31 के 25.00 बीघा कृषि भूमि आवंटित की गयी. श्री अन्नाराम के एक

पुत्र एवं तीन पुत्रियां हुई जिनमें से श्री अन्नाराम की धर्मपत्नी एवं एक पुत्री सुगना की मृत्यु हो गयी. श्री अन्नाराम की भूमि उसकी मृत्यो के बाद उसके पुत्र गोपाल एवं तीजा पुत्री को उत्तराधिकार में आयी. वादी श्रीमती तीजा का पुत्र है और प्रतिवादी श्री गोपाल का पुत्र है. श्री गोपाल की मृत्यु हो चुकी है. अब केवल इस भूमि में वादी एवं गोपाल के पुत्र श्री सोहनलाल का हिस्सा ही रहता है. किन्तु नामान्तकररण में गोपाल की माता श्रीमती मूलीदेवी का नाम भी गलती से दर्ज हो गया. वादी द्वारा प्रस्तुत विचाराधीन वाद में श्री अन्नाराम के नाम पर ही जमाबन्दी में इन्द्राजात किये हुऐ हैं जिसकी बाबत घोषणा करवायी जानी है कि श्री अन्नाराम की मृत्योपरान्त श्रीमती मूलीदेवी के नाम से जो नामान्तरकरण दर्ज किया गया है, वह गलत है, ऐसे वाद में पुर्नवास अधिनियम की धारा 36 प्रभावशील नहीं होती. इस प्रकार आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया गया.

आवेदनपत्र पर युक्तियुक्त विचारणोपरान्त आदेश दिनांक 5 मार्च, 2007 द्वारा आवेदनपत्र स्वीकार किया जाकर विचाराधीन वादपत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण निरस्त किया गया. जिसके विरूद्व मा. न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 42/2007 शीर्षक मुन्शीराम बनाम सोहनलाल में मा. न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर पारित निर्णय दिनांक 27 अगस्त, 2015 द्वारा अपील स्वीकार करते हुऐ वाद पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया.

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 22 फरवरी, 2016 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार वास्तव में प्रश्नगत कृषि भूमि पारिवारिक सदस्यों कमशः श्री अन्नाराम, श्री गोपाल, श्रीमती मूलीदेवी एवं सुगना के आधार पर आवंटित की गयी थी. श्री अन्नाराम की मृत्योपरान्त उसके तीन वारिस तीजा, गोपाल एवं सुगना हुऐ. श्रीमती तीजा को श्री अन्नाराम के हि।स्सा में आरी 6.00 बीघा कृषि भूमि से ही हिस्सा व हक प्राप्त होना था. शेष हिस्सा श्री गोपाल एवं सुगना को निहित हुआ. श्री गोपाल एवं सुगना की मृत्योपरान्त श्री अन्नाराम के ¼ हिस्सा में श्रीमती तीजा का 1/3 हिस्सा ही आया. वादी श्री मुन्शीराम श्रीमती तीजा का उत्तराधिकारी मान कर वाद प्रस्तुत कर रहा है. इस प्रकार मुन्शीराम केवल मात्र श्री अन्नाराम के 6.00 बीघा में से 2.00 बीघा कृषि भमि ही आती है उसी के अनुसार प्राप्त करने का अधिकारी है. तथाकथित नामान्तकरण को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी इसलिये वादी को ऐसे नामान्तरकरण को चुनौती देने का अधिकार नहीं है. वादी केवल श्रीमती तीजा को श्री अन्नाराम से प्राप्त 1/3 हिस्सा एतद्द्वारा 6.00 बीघा में 1/3 हिस्सा प्राप्त करने का ही अधिकारी है. वादी किसी भी दृष्टिकोण से 12.10 बीघा कृषि भूमि की घोषणा एवं विभाजन करवाने का अधिकारी नहीं है. प्रतिवादी अपने हिस्सा की कृषि भूमि पर काबिज है तथा वादी को कोई क्षति नहीं पहुंचा रहा है. ऐसी स्थिति में, वादी किसी भी प्रकार से अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है. इस प्रकार वादपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया.

प्रतिवादी संख्या 2 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज द्वारा जवाब वादपत्र दिनांक 8 मार्च, 2016 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार विवाद परस्पर पक्षकारान के मध्य है राज्य हितों को ध्यान में रखते हुऐ निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया गया.

पक्षकारान के मध्य उत्पन्न विवाद के निस्तारण हेतु निम्नलिखित विवाद्यको का निर्धारण किया गया –

1. क्या चक 3 ए बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 31 की 25.00 बीघा कृषि भूमि में वादी 12.10 बीघा प्राप्त करने एवं विभाजन करवाने का अधिकारी है?
...वादी

2. क्या प्रश्नगत कृषि भूमि तत्समय परिवार के उपलब्ध सदस्यों की संख्या के आधार पर आवंटन की गयी थी. जिसके परिदृश्य स्व. श्री अन्नाराम के 1/4 हिस्सा अर्थात 6.00 बीघा में से वादी की माता श्रीमती तीजां 1/3 हिस्सा अर्थात 2.00 बीघा कृषि भूमि की हिस्सेदार एवं अधिकारिणी है?
....प्रतिवादी

3. अनुतोष?

विवाद्यकों के विनिश्चिय हेतु साक्ष्य वादी हेतु श्री मुन्शीराम द्वारा उपस्थित आकर प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किया गया.

प्रतिवादी की ओर से आवेदनपत्र दिनांक 2 मई, 2016 अन्तर्गत आदेश 11 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार विचाराधीन प्रकरण में प्रश्नगत कृषि भूमि मूल आवंटी श्री अन्नाराम आत्मज श्री दुल्लाराम, नायक, कोनी के नाम पर गैर खातेदारी दर्ज थी. श्री अन्नाराम की मृत्योपरान्त हुक्म वारिसान के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 108 श्रीमती मूलीदेवी धर्मपत्नी श्री गोपाल 7/12 हिस्सा, श्री सोहनलाल आत्मज श्री गोपाल ¼ हिस्सा, श्री मुन्शीराम आत्मज श्री तीजां 1/6 हिस्सा गैर खातेदार राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जा चुका है. इस प्रकार श्री मुन्शीराम को हुक्त वारिसनामा नामान्तरकरण संख्या 108 द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि में 1/6 हिस्सा घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेखों में नामान्तरकरण दर्ज किया जा चुका है वर्तमान में श्री मुन्शीराम द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि बाबत प्रतिवादी को पक्षकार बनाते हुऐ विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया है जबकि पूर्व मे इसी कृषि भूमि के विभाजन की बाबत नामान्तरकरण संख्या 108 बहुक्म वारिसनामा के अनुसार वादी का 1/6 हिस्सा राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो चुका है श्री मुन्शीराम श्रीमती तीजा के हिस्सा को प्राप्त करना चाहता था जो उसे प्राप्त हो चुका है. वादी द्वारा हुक्म वारिसनामा को कभी भी चुनौती नहीं दी गयी. इस प्रकार विभाजन पूर्व में ही निर्णित हो चुका है इसलिये विचाराधीन वाद पोषणीय नहीं है. इस प्रकार विचाराधीन वाद निरस्त किये जाने का

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्डपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

निवेदन किया गया. आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में मूल जमाबन्दी सम्बत् 2066 संलग्न प्रस्तुत की गयी.

वादी की ओर से जवाब आवेदनपत्र दिनांक 22 जून, 2016 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रतिवादी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र के साथ ऐसा कोई आदेश एवं डिक्री पूर्व में प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे धारा 11 लागू की जा सके. केवल मात्र धारा 11 पूर्व में जारी कोई आदेश एवं डिक्री पूर्व में पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है. वर्तमान वाद धारा 88, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम का है जो इन्हीं पक्षों के मध्य पूर्व में कभी भी धारा 88, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आदेशित एवं निर्णित नहीं हुआ है. प्रतिवादी द्वारा आधारहीन आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया है जो वेग है तथा खारिज किये जाने योग्य है. धारा 11 का सिद्वान्त पूर्ववर्ती आदेश एवं डिक्री होने के विरूद्व पुनः वादपत्र प्रस्तुत होने पर ही लागू होता है जबकि विचाराधीन वाद से पूर्व वादपत्र पेश होना नहीं पाया जाता है. इसलिये आवेदनपत्र निरस्त किये जाने योग्य है. इस प्रकार आवेदनपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया.

आवेदनपत्र पर युक्तियुक्त विचारणोपरान्त आदेश दिनांक 26 अगस्त, 2016 द्वारा विचाराधीन पत्रावली में वादी द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि में अपने हिस्सा की 12.10 बीघा कृषि भूमि की घोषणा चाही गयी हैं जबकि जमाबन्दी सम्बत् 2066 के अनुसार वादी का हिस्सा 1/6 वारिसनामा के आधार पर दर्ज किया गया है. जो किसी भी दृष्टि से न्यायिक आदेश नहीं हैं. ऐसी स्थिति में, विचाराधीन प्रकरण में धारा 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू नहीं होते हैं. ऐसी स्थिति में, आवेदनपत्र निरस्त किया गया.

साक्षी वादी के उपस्थित आने पर उससे जिरह की गयी. अन्य साक्ष्य वादी प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया, किन्तु प्रस्तुत नही करने के परिणामतः आदेश दिनांक 22 सितम्बर, 2016 द्वारा अन्तिम अवसर, आदेश दिनांक 15 नवम्बर, 2016 द्वारा राशि 200.00 कॉस्ट पर पुनः अन्तिम अवसर दिये जाने के उपरान्त दिनांक 9 जनवरी, 2017 को वादी अधिवक्ता द्वारा अन्य साक्ष्य वादी प्रस्तुत नही करने के कथन करने के कारण साक्ष्य वादी पूर्ण की गयी. साक्ष्य प्रतिवादी हेतु श्री सोहनलाल द्वारा उपस्थित आकर प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किया गया. साक्षी प्रतिवादी द्वारा जिरह हेतु उपस्थित नहीं आने के कारण आदेश दिनांक 1 जून, 2017 द्वारा अन्तिम अवसर दिय गया. दिनांक 4 जुलाई, 2017 को साक्षी प्रतिवादी के उपस्थित आने पर जिरह की गयी. अन्य साक्ष्य प्रतिवादी प्रस्तुत नही करने के परिणामतः साक्ष्य प्रतिवादी पूर्ण की गयी.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(टिब्बी) श्रीगंगानगर

प्रतिवादी की ओर से आवेदनपत्र दिनांक 21 जून, 2018 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार विचाराधीन वादपत्र विभाजन एवं खातेदारी के अनुतोष सहित प्रश्नगत कृषि भूमि में ½ हिस्सा की

घोषणा चाही गयी है. वर्तमान समय में भी, जमाबन्दी के अनुसार प्रश्नगत कृषि भूमि भारत सरकार कस्टोडियन की गैर खातेदारी भूमि मूल आवंटी श्री अन्नाराम के नाम पर दर्ज है चूंकि माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा पारित निर्णय के अनुसार गैर खातेदारी कस्टोडियन विभाग के नाम पर दर्ज कृषि भूमि की बाबत राजस्व न्यायालय को श्रवणाधिकार नहीं है इसलिये विचाराधीन वादपत्र विधि द्वारा वर्जित है. इस प्रकार वादपर इसी स्तर पर निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया.

वादी की ओर से जवाब आवेदनपत्र दिनांक 25 जुलाई, 2018 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार प्रश्नगत कृषि भूमि श्री अन्नाराम के नाम पर दर्ज नहीं है. विचाराधीन वाद का क्षेत्राधिकार मा. न्यायालय से सम्बद्व है. प्रतिवादी द्वारा तथ्यों को छिपाकर झूठे, मनगढत तथा आधारहीन तथ्य दर्ज कर आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया है इसलिये आवेदनपत्र निरस्त किये जाने योग्य है. प्रतिवादी श्री सोहनलाल द्वारा इसी वादपत्र में दिनांक 15 मार्च, 2005 को भी एक आवेदनपत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 मा. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिसका वादी द्वारा जवाब दिनांक 13 जुलाई, 2007 को प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा आवेदनपत्र निरस्त कर दिया गया था. जिसके विरूद्व अपील संख्या 42/2007 प्रस्तुत करने पर मा. राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2015 को निर्णय पारित कर प्रकरण मा. न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया. प्रतिवादी श्री सोहनलाल द्वारा यह आवेदनपत्र पूर्ववर्ती आवेदनपत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुऐ समान तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं. आवेदनपत्र में कोई नया तथ्य दर्ज नहीं किया गया जबकि आवेदनपत्र पर दर्ज तथ्यों और कानूनी बिन्दुओं का निर्णय पूर्व में हो चुका है तथा किसी कानूनी बिन्दू या तथ्यों पर एक बार पारित निर्णय की बाबत उसी कानूनी बिन्दुओं एवं तथ्यों को पुनः नहीं उठाया जा सकता. प्रतिवादी द्वारा विचाराधीन आवेदनपत्र निर्णय में देरी करने के उदेश्य से झूठे, मनगढंत एवं आधारहीन तथ्य दर्ज किये गये है जिन पर पूर्व में ही निर्णय लिया जा चुका है. इस प्रकार आवेदनपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया. तथा न्यायिक दृष्टांत 2018 DNJ (Rev.) 311 State of Rajasthan thru Tehsildar, Hindaun Distt. Kauroli vs. AmarSingh Dhakar & ors, 2014(1) DNJ(Raj.) 260 Navratan Mal & anr vs. LR's of Late Purshotam Dass & ors तथा राजस्थान सरकार, राजस्व (पुर्नवास) विभाग, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र संख्या एफ.1(15)राजस्व/पुर्नवास/2009 दिनांक 6 अक्तूबर, 2009 का ससम्मान अवलोकन किया गया.

राजस्थान सरकार, राजस्व (पुर्नवास) विभाग, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र संख्या एफ.1(15)राजस्व/पुर्नवास/2009 दिनांक 6 अक्तूबर,

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

2009 के अनुसार निरसन की तारीख तक जिन प्रकरणों में अधिकार सृजित नहीं हुऐ थे अथवा अर्जित नहीं कर लिये गये थे उन प्रकरणों में अब कोई अग्रिम कार्यवाही अपेक्षित अथवा वांछित नही है. निरसन की तारीख के बाद अब कोई भी नया प्रकरण दर्ज नहीं किया जायेगा एवं 2018 DNJ (Rev.) 311 State of Rajasthan thru Tehsildar, Hindaun Distt. Kauroli vs. AmarSingh Dhakar & ors में स्पष्ट किया गया है कि पुर्नवास भूमि पर धारा 88 एवं 188 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं. ऐसी स्पष्ट परिस्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस न्यायालय के श्रवणाधिकार से सम्बन्धित नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है.

।। आदेश ।।

अतः आवेदनपत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रकिया संहिता स्वीकार किया जाता है. तथा वादपत्र इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है. वादव्यय पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे. यथा डिकी जारी हो.

आदेश अधिवक्तागण के समक्ष खुले न्यायालय में आज दिनांक 30 अगस्त, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

डिक्री

(order 20 rule 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – सौरभ स्वामी, I.A.S.

मुन्शीराम आत्मज श्रीमती तीजा धर्मपत्नी श्री बलदेवाराम, नायक, गांव कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

...वादी

बनाम

1. सोहनलाल आत्मज श्री गोपाल, जाति नायक, कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.

..प्रतिवादीगण

वादपत्र संख्या 104/2015
अन्तर्गत धारा 88, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादीगण अधिवक्ता श्री जगदीश गोदारा, श्री प्रेमप्रकाश मक्कड प्रतिवादी संख्या एवं पैरोकार राज (प्रतिवादी--2) की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

वादपत्र इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है.

वाद व्यय शून्य वास्ते....शून्य.....खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज...शून्य.....दर वार्षिक ...शून्य.....आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 30 अगस्त, 2018 को जारी की गयी.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	**00.00**	**कुल**	**00.00**